B-III
L-15
MIH

## 1786 का अधिनियम

- कार्नवालिस को विशेष अधिकार देने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया, कार्नवालिस को यह अधिकार दिया गया कि वह परिषद के सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज कर सकता है तथा उसे मुख्य सेना-पति का पद भी दिया गया। (गवर्नर जनरल के हाथों में शक्ति का केन्द्रीयकरण)

## 1793 का चार्टर एक्ट

- कम्पनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया।
- गवर्नर जनरल परिषद के सभी सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज करने का अधिकार दिया गया।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा।

## 1813 का चार्टर एक्ट

→ कम्पनी का चार्टर पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया लेकिन यह भी प्रावधान किया गया कि भारत में क्राउन की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। (पहली बार भारत के सन्दर्भ में क्राउन की सर्वोच्चता को स्पष्ट किया।)

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

- व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया इनका भारत से चाय का व्यापार एवं चीन के साथ अफीम का व्यापार को जारी रखा गया।
- कम्पनी के शेयर होल्डरों को भारतीय राजस्व से लाभांश देने की घोषणा की गयी।
- भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रूपयों का व्यय का प्रावधान।
- भारतीय सरकार से अनुमति मिलने पर ईसाई मिशनरियां भारत में धर्म प्रचार कर सकती हैं।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

## 1833 का चार्टर एक्ट

- 20 वर्षों के लिए चार्टर को पुनः बढ़ाया गया।
- भारत में कम्पनी की भूमिका क्राउन के न्यासी के रूप में होगी।
- व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
- कम्पनी के शेयर होल्डरों को भारतीय राजस्व से लाभांश दिया जायेगा तथा कंपनी के सभी ऋण की अदायगी भी भारतीय राजस्व से की जायेगी।

- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
- गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि विशेषज्ञ के रूप में चतुर्थ सदस्य को शामिल किया गया। (मैकाले प्रथम सदस्य)
- भारत में आधुनिक कानूनों को लागू करने के उद्देश्य से विधि आयोग के गठन का प्रावधान।
- मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था।
- प्रांतो से कानून बनाने का अधिकार लेकर गवर्नर जनरल परिषद को दिया गया।
- ब्रिटिश साम्राज्य से दासता को समाप्त करने का प्रावधान (भारत में इसके लिए 1843 में कानून बनाया गया।)
- भारतीय प्रजा के साथ ब्रिटिश सरकार भेदभाव नहीं करेगी (जाति, धर्म, जन्मस्थान रंग इत्यादि)

[बैंटिक (1828-35) बंगाल का गवर्नर]

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

# 1853 का चार्टर एक्ट

- कम्पनी का चार्टर निश्चित वर्षों के लिए नही बढ़ाया गया बल्कि यह प्रावधान किया गया कि भारत में कम्पनी का शासन तब तक रहेगा जब तक संसद की इच्छा होगी।
- कम्पनी की नियुक्ति संबंधी अधिकार भी समाप्त कर दिया गया, नियुक्ति प्रतियोगिता के आधार पर होगी। (मैकाले की अध्यक्षता में समिति बनाई गई)
- गवर्नर जनरल परिषद में एक स्थाई सदस्य शामिल किया गया (1+4)।
- गवर्नर जनरल परिषद के अतिरिक्त विधिबनाने पर विचार विमर्श के लिए केन्द्रीय स्तर पर 6 अतिरिक्त सदस्यों को गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। (भारत में संसद की शुरूआत)
- भारतीय कानून के सन्दर्भ में ब्रिटेन में विधि आयोग के गठन का प्रावधान।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

## 1858 का अधिनियम (भारत पर बेहतर शासन के लिए)

### ब्रिटेन में परिवर्तन :-

- बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया।
- कम्पनी का शासन समाप्त।
- भारत सचिव या भारत मंत्री नामक नये पद का गठन (कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर)। गवर्नर जनरल को शासन के लिए निर्देश देता था।
- सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद के गठन का प्रावधान।
- भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा।

[ कैनिंग - 1856 - 62 गवर्नर जनरल (वायसराय) ]
प्रथम - वायसराय

### महारानी विक्टोरिया की घोषणा - Nov-1858 में
### भारतीय शासन के सन्दर्भ में

- भारत में ब्रिटिश सरकार साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगी।
- भारतीय शासकों को गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार होगा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
A Trusted Learning Platform
KHAN SIR

• ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजा के साथ भेदभाव नही करेगी।

नोट :- वायसराय कैनिंग ने इलाहाबाद में यह जारी किया था।

## 1861 का भारत परिषद अधिनियम

• गवर्नर जनरल / वायसराय परिषद में एक और स्थायी सदस्य शामिल किया गया (1+5)।

• वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार।

• भारत में विभागीय प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम की शुरूआत।

• अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम - 6 और अधिकतम - 12 होगी (मनोनीत) गवर्नर जनरल द्वारा।

• इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य भी होंगे इसी प्रावधान के अन्तर्गत भारतीयों को भी अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल किया जाने लगा।

• प्रान्तों को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया हालांकि इसके लिए गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी पड़ती थी।

प्र० - 1773 के अधिनियम की पृष्ठभूमि प्रावधान एवं आलोचनाओं को संक्षेप में बताएं ?